राजस्थान विधान सभा

(सोलहवीं विधान सभा)

षष्ठम्-सत्र

अतारांकित प्रश्नों की सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त, 2026

कुल संख्या-21

उप मुख्यमंत्री (उच्च शिक्षा)	03
कृषि मंत्री	03
शिक्षा मंत्री	03
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री	02
जल संसाधन मंत्री	02
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री	03
सहकारिता राज्य मंत्री	01
नगरीय विकास राज्य मंत्री	04

बानसूर विधान सभा क्षेत्र में निगम बस सेवा का संचालन

1. (963/परिवहन/अता.)
श्री देवी सिंह शेखावत (81) – क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में विगत पांच वर्षों में कितनी नई रोडवेज बस सेवाएं प्रारम्भ कर कितने नए बस स्टॉप स्वीकृत किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र से जयपुर, अलवर, कोटपूतली, दिल्ली एवं अन्य प्रमुख शहरों के लिए पर्याप्त रोडवेज बस सेवाएं उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो सरकार नई बस सेवाएं कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भर्तियों हेतु विज्ञापन

2. (455/उच्च शिक्षा/अता.) श्री अमीन कागजी (9) – क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024 से माह जून, 2026 तक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियमित, संविदा एवं अन्य भर्तियों हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं? यदि हां, तो विश्वविद्यालयवार विज्ञापन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जारी किये गये भर्ती विज्ञापनों की चयन प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्तियां प्रदान कर दी गई हैं? यदि हां, तो विश्वविद्यालयवार विज्ञापित पदों, चयनित अभ्यर्थियों एवं नियुक्त पदों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विश्वविद्यालयों द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी करने से पहले रोस्टर रजिस्टर का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया है? यदि हां, तो कब-कब व कितने समय के लिए? विश्वविद्यालयों के रोस्टर का विवरण, कम समय देने के कारण, संबंधित नियम/दिशानिर्देश तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या रोस्टर पर प्राप्त आपत्तियों को रोस्टर समिति के सामने रखे बिना ही अन्य अधिकारी/प्राधिकरण द्वारा निस्तारित किया गया है? यदि हां, तो किस नियमों के तहत? क्या सरकार रोस्टर पर प्राप्त आपत्तियों का प्रक्रियानुसार निस्तारण करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों की पदोन्नति

3. (1046/उच्च शिक्षा/अता.) श्री सुरेश गुर्जर (176) – क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के लिए पदोन्नति के कौन-कौनसे पद निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रयोगशाला सहायकों के कैडर पुनर्गठन व पदोन्नति के पदों को बढ़ाने से संबंधित कोई प्रस्ताव अथवा पत्रावली वर्तमान में विभाग स्तर पर लंबित है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विगत पांच वर्षों में प्रयोगशाला सहायकों की पदोन्नति हेतु नियमित रूप से विभागीय पदोन्नति समितियां (DPC) आयोजित नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रयोगशाला सहायक कैडर में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने हेतु संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

झालावाड़ जिले में तारबन्दी योजना के लाभार्थी

4. (150/कृषि/अता.) श्री हरिमोहन शर्मा (192) – क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में काश्तकारों की फसल को आवारा पशुओं से बचाव के लिए तारबंदी योजना चलाई गई? यदि हां, तो योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत जिला झालावाड़ में कितने काश्तकारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है? उक्त में से कितने काश्तकारों को तारबंदी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है? वर्षवार पंचायत समितिवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्यानिकी अनुदान योजनाओं हेतु ऑनलाइन पोर्टल

5. (511/कृषि/अता.) श्री ललित यादव (143) – क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार की ड्रिप, स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, रेनगन आदि अनुदान योजनाओं का पोर्टल

1 अप्रेल 2026 से बंद है? यदि हां, तो किन कारणों से एवं पोर्टल कब तक पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पोर्टल बंद होने के कारण किसान अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पोर्टल तत्काल प्रारंभ कर वंचित किसानों से आवेदन प्राप्त करने तथा बुवाई सीजन को देखते हुए विशेष अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जिला डूंगरपुर में वीबी-जी रामजी योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य

6. (431/ग्रामीण विकास/अता.) श्री उमेश मीणा (23) – क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत वीबी-जी राम जी योजना के तहत जिला डूंगरपुर की प्रत्येक पंचायत समिति की चयनित ग्राम पंचायतों में ग्रामीण हाट बाजार, पुस्तकालय अमृत सरोवर, कांजी हाऊस सहित विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष, 2025-26 से माह जुलाई 2026 तक पंचायत समितिवार एवं चयनित ग्राम पंचायतों के नाम, प्रस्तावित कार्यों का विवरण, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की तिथि, स्वीकृत लागत एवं वित्तीय प्रावधान, कार्यदायी संस्था एवं वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला डूंगरपुर में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्यों हेतु अब तक कितनी राशि जारी की गई, कितनी राशि व्यय की गई तथा कितने कार्य पूर्ण, प्रगतिरत एवं लंबित हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा जिला डूंगरपुर में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के समयबद्ध

एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु कोई निगरानी, मूल्यांकन एवं सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था संचालित की जा रही है? यदि हां, तो पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिविल लाईन्स विधान सभा क्षेत्र में जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत

7. (717/शिक्षा/अता.) श्री गोपाल शर्मा (45) – क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिविल लाईन्स में कितने राजकीय विद्यालय 15 वर्ष से अधिक पुराने भवनों में संचालित हैं? विद्यालयवार भवन निर्माण वर्ष, वर्तमान भवन की स्थिति तथा आवश्यक मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु चिन्हित प्राथमिकताओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण अथवा पुनर्निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं/मदों के अंतर्गत कितनी राशि स्वीकृत एवं जारी की गई? उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौनसे कार्य पूर्ण किए गए? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

प्रदेश के भवन व शौचालय विहीन विद्यालय

8. (900/शिक्षा/अता.) श्री टीकाराम जूली (71) – क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में भवन विहीन विद्यालय कितने हैं तथा इनमें बालिका विद्यालयों की संख्या कितनी है? ब्लॉक व जिलावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के कितने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिये शौचालय आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं? ब्लॉक व जिलावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा विद्यालयों में भवन व शौचालय आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की गई

है? यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करवा दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायत समिति परबतसर में कार्मिकों का स्थानान्तरण

9. (366/पंचायतीराज/अता.) श्री रामनिवास गावड़िया (134) – क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति परबतसर में जनवरी, 2024 से माह जून, 2026 तक पंचायत समिति, जिला परिषद् एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कार्मिकों/अधिकारियों के स्थानान्तरण किए गए हैं? यदि हां, तो स्थानांतरित कार्मिकों का नाम, पद, दिनांक एवं स्थानान्तरण स्थल का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानान्तरण आदेशों की पालना में कार्मिकों को कार्यमुक्त किया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो किन-किन कार्मिकों को कार्यमुक्त किया गया तथा किन-किन कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में घर-घर जल योजना का कार्य

10. (475/जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी/अता.) श्री चेतन पटेल कोलाना (53) – क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम बीरोदा के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी तथा मापदण्ड अनुसार कितनी मात्रा अधिक है?

(2) नौनेरा वृहद् पेयजल परियोजना के पैकेज द्वितीय के अन्तर्गत घर-घर जल योजना के कार्यादेशानुसार ग्राम बीरोदा में अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नौनेरा वृहद् पेयजल परियोजना के पैकेज द्वितीय के

अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र में घर-घर जल योजना के कार्य कब तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है तथा अब तक कितना कार्य पूर्ण कर लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्थापित आर.ओ. संयंत्र

11. (967/जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी/अता.) श्री अर्जुन लाल (12) – क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कहां-कहां पर आर.ओ. संयंत्र लगाए गए हैं? उक्त में से कितने संयंत्र कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आर.ओ. संयंत्र बन्द हैं? सरकार बन्द आर.ओ. संयंत्रों की मरम्मत करवाकर कब तक चालू करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में परवन वृहद् सिंचाई परियोजना से प्रभावितों का पुनर्वास

12. (125/जल संसाधन/अता.) श्री प्रताप सिंह सिंघवी (94) – क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अंतर्गत परवन वृहद् सिंचाई परियोजना से प्रभावित ग्राम मालोनी, पीपल्याघाटा, अमलावदा खरण, सुखनेरी, बोरदा, फतेहपुर, टाकूड़ा, बिलेण्ड़ी इत्यादि के डूब क्षेत्र के परिवारों को मकानों का मुआवजा वर्ष 2025 में वर्ष 2014 की बीएसआर (BSR) दरों के आधार पर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान प्रचलित बीएसआर दरों के अनुसार अन्तर राशि का भुगतान करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना में बारां जिले के डूब क्षेत्र के किसानों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा केवल

1.75 गुना की दर से दिया गया जबकि बाद में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 2.00 गुना अथवा अधिक दर से दिया गया? यदि हां, तो अलग-अलग दर से मुआवजा देने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना में केवल 24 अक्टूबर 2018 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को ही पात्र माना गया है जबकि पुनर्वास राशि का वितरण वर्ष 2022 में किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार जनवरी, 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रभावित व्यक्तियों को भी पुनर्वास लाभ देने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त विस्थापित परिवारों के सदस्यों को वर्ष 2022 में 5.86 लाख प्रति इकाई तथा परिवार के मुखिया को 6.36 लाख पुनर्वास सहायता राशि प्रदान की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाकर र10.00 से र12.00 लाख प्रति इकाई करने तथा विशेष अनुग्रह राशि प्रदान करने का विचार रखती है?

(5) क्या यह सही है कि बारां जिले के डूब क्षेत्र में अनेक स्थानों पर सिंचित भूमि को असिंचित मानकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया तथा फलदार वृक्षों एवं अन्य स्थायी परिसंपत्तियों का भी कम दरों पर मूल्यांकन किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार पुनर्मूल्यांकन करवाकर अन्तर राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

राम जलसेतु (चंबल कालीसिंध लिंक) परियोजना के लाभार्थी

13. (880/जल संसाधन/अता.) श्री संदीप शर्मा (172) – क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राम जलसेतु लिंक परियोजना (चंबल कालीसिंध लिंक) की स्वीकृत लागत क्या है तथा जुलाई, 2026 तक इस पर कुल कितना व्यय हो चुका है?

(2) उक्त परियोजना कब प्रारम्भ हुई तथा इसकी पूर्णता

अवधि क्या है? वर्तमान कार्य प्रगति सहित सम्भावित पूर्णता अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजना के तहत क्या-क्या भौतिक निर्माण किए जाएंगे व किन-किन जिलों में पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल पहुंचाया जाएगा तथा कितनी जमीन सिंचित होकर कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राम जलसेतु लिंक परियोजना हेतु अब तक कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है, कितने किसानों/परिवारों को मुआवजा दिया गया तथा कितनी राशि वितरित की गई? क्या किसी प्रभावित व्यक्ति का पुनर्वास लंबित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत शिथिलन संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन

14. (209/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/अता.) श्री उदयलाल भडाणा (22) – क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहायक वन संरक्षक (जूनियर स्केल) एवं रेन्जर ग्रेड-I (क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड-I) के रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी करने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वन विभाग को दिए गए निर्देशों के क्रम में उक्त पदों के लिए विशेष योग्यजन के कतिपय प्रवर्गों को आरक्षण एवं नियोजन से छूट दिए जाने के संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु वर्तमान में प्रचलित राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6 के उप नियम 2 (क) के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 13.04.2026 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयानुसार शिथिलन संबंधी जारी की जाने वाली अधिसूचना का राज-पत्र में प्रकाशन करवा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 13.04.2026 को आयोजित उक्त बैठक में लिए गए निर्णयानुसार शिथिलन संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने हेतु

वन विभाग द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दिनांक 06.06.2026 को पुन: अनुस्मरण पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर राज-पत्र में प्रकाशन संबंधी कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विशेष योग्यजन के कतिपय प्रवर्गों को आरक्षण एवं नियोजन से छूट दिए जाने हेतु शिथिलन संबंधी जारी की जाने वाली अधिसूचना के राज-पत्र में प्रकाशन संबंधी कार्यवाही दीर्घावधि तक सम्पादित नहीं करने से संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लम्बित भुगतान

15. (809/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/अता.) श्री कालूराम (31) – क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत तीन माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पेंशन में वृद्धि करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा के अनुरूप कितनी पेंशन दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा योजना में आवेदन

16. (890/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/अता.) श्री बाबूसिंह राठौड़ (101) – क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में विगत तीन वर्षों में विधवा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री

दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त में से कितने आवेदकों को लाभान्वित किया गया व कितने लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त लम्बित आवेदनों का निस्तारण कब तक करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चूरू विधान सभा क्षेत्र में सहकारी समितियों के भवन एवं गोदाम का निर्माण

17. (1073/सहकारिता/अता.) श्री हरलाल सहारण (191) – क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्यालय भवन एवं गोदाम निर्मित नहीं हैं?

(2) क्या सरकार उक्त सहकारी समितियों के नवीन कार्यालय, भवन एवं गोदाम निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सेवारामपुरा टोंक की अधिग्रहित भूमि को अवाप्ति से मुक्ति

18. (266/नगरीय विकास एवं आवासन/अता.) श्री राजेन्द्र गुर्जर (194) – क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर ने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम सेवारामपुरा टोंक की अधिग्रहित भूमि बाबत दिनांक 1 मार्च, 2017 को जारी अवार्ड अवधिपार होने के कारण रद्द करके अधिग्रहण की समस्त कार्रवाई को रद्द कर दिया है? यदि हां, तो सरकार ग्राम सेवारामपुरा टोंक की भूमि को कब तक अवाप्ति से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

को-ऑपरेटिव कॉलोनी जयपुर की अप्रोच रोड पर अतिक्रमण

19. (691/स्वायत्त शासन/अता.) श्री बालमुकुन्दाचार्य (102) – क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम से अनुमोदित आवासीय कॉलोनियों के लिए अप्रोच रोड्स की चौड़ाई कितने फीट निर्धारित है? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर के सिविल लाईन्स जोन सोडाला क्षेत्र में बसी जेडीए अनुमोदित "को-ऑपरेटिव कॉलोनी" में प्रवेश एवं निकास के लिए उपलब्ध मार्ग की चौड़ाई वर्तमान में कितनी है?

(3) क्या यह सही है कि को-ऑपरेटिव कॉलोनी के अप्रोच मार्ग पर राठी पेट्रोल पम्प की पश्चिमी दीवार का निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को कब तक हटाकर सड़क को चौड़ा कर दिया जायेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2000 में ऑपरेशन पिंक अभियान के तहत उक्त दीवार को ध्वस्त कर दिया गया था? यदि हां, तो अतिक्रमी द्वारा उक्त दीवार का पुन: निर्माण होने के लिये कौन अधिकारी दोषी है? सरकार दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरपालिका माण्डलगढ़ व बिगोद में अग्निशमन वाहन

20. (954/स्वायत्त शासन/अता.) श्री गोपाल लाल शर्मा (44) – क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका मांडलगढ़ व बिजौलियां/बिगोद में अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजीव गांधी आवास योजना

21. (1063/स्वायत्त शासन/अता.) श्री रफीक खान (123) – क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजीव गांधी आवास योजना के अन्तर्गत बगराना में फ्लेटों का आवंटन किया गया था? यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को आवंटन पत्र दिए गए तथा कितने अभी तक वंचित हैं? उक्त फ्लेटों के निर्माण में केन्द्र व राज्य सरकार की कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के फ्लेटों एवं खाली भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा करने एवं अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट देने के बाद सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भू-माफियाओं के द्वारा यहां पर प्लाट बनाकर बेचे जा रहे हैं? यदि हां, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधान सभा भवन,
जयपुर।
दिनांक : 10 अगस्त, 2026

भारत भूषण शर्मा
प्रमुख सचिव